


26/5/22

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के अधिकारता में  
उपस्थित लोक प्राधना पत्र पेश कर निवेदन किया  
कि इस प्रकार बिचड़ों करना चाहते हैं तथा नती  
के विरुद्ध कार्रवाई नहीं चाहते हैं अतः प्रार्थी द्वारा  
पुस्तक प्राधना पत्र अन्तर्गत धारा 14 संश्लेषी एक्ट 2002  
इसी स्टेज पर श्वारिज किया जाता है पत्रावली फॉलो  
अनुसार लोक दारिकल दफ्तर है।



  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)